न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 7/2023 (GCMS No. 2023/18)

राधेश्याम उम्र 62 वर्ष पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी भुदा का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

– प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल उम्र व्यस्क पुत्र मालाराम जाति जाट निवासीगण राणासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. जयप्रकाश उम्र व्यस्क पुत्र सोहनलाल जाति जाट
3. भगवानी उम्र व्यस्क पत्नी सोहनलाल जाति जाट
4. राजेन्द्र उम्र व्यस्क पुत्र गोविन्दा जाति जाट
5. रामजीलाल उम्र व्यस्क पुत्र मालाराम जाति जाट
6. लालचन्द उम्र व्यस्क पुत्र गोविन्दा जाति जाट
7. उदमीराम उम्र व्यस्क पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी राणासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलसीसर जिला झुझुनूं
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर तहसील मलसीसर जरिये मैनेजर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनूं।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी –श्री विनोद कुमार गिल
वकील अप्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया

निर्णय

दिनांक 17.12.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम चक राणासर पटवार हल्का भुदा का बास की सरहद में भूमि ख.न. 52/41 रकबा 2.21 हैक्टर अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थी अपने दर्ज हिस्से मुताबिक काबिज काश्त है। इसी प्रकार ग्राम चकराणासर पटवार हल्का भूदा का बास में भूमि ख.न. 43 रकबा 7.27 हैक्टर भूमि में स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 6 है।

407

ख.न. 43 के मध्य में से ग्राम भुदा का बास से विजयपुरा रास्ता जाता है जो डोटेड लाईन से दर्शित है। उक्त रास्ता ख.न. 43 के मध्य में से होकर गुजरता है। ख.न. 43 के उत्तर में ख.न. 42 रकबा 7.83 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि का खातेदार अप्रार्थी नं. 7 उदमीराम है। प्रार्थी अपने खेत ख0न0 52/41 में ख.न. 43 में मार्क ए. से बी. बिन्दु तक दर्शित रास्ते से हमेशा अपने खेत में आता जाता रहा है। ख.न. 42 का खातेदार उदमीराम ने मौके पर अब भी रास्ता छोड़ रखा है। जो मौके पर निशानात मौजुद है। ख.न. 43 के खातेदारान ने ए. बिन्दु पर छड़िया व झाड़िया की लकड़ीया डालकर रास्ता बन्द कर दिया। प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत को काश्त करने के लिये ए. से बी. रास्ते की आतेन्तिक आवश्यकता है। इसलिये प्रार्थीगण को नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी 20 फुट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में लाल स्याही से अंकित कर राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि की डी.एल.सी. की दुगुनी कीमत से भुगतान करने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण के आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा उक्त नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 प्रार्थी को अपनी भूमि तक जाने के लिये आनाकानी कर रहे है तथा उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम चक राणासर में अवस्थित अपनी भूमि खेत ख.न. 52/41 में जाने के लिये अनावेदक नं. 1 लगायत 6 की भूमि ख.न. 43 व ख0न0 42 में नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु A से B तक 20 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की ओर से एडवोकेट विजयसिंह लालपुरिया ने वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का जवाब बंद किया गया।

अनावेदकगण संख्या 7, 8, 9 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

47

तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 862 दिनांक 25.04.2023 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ख0न0 52/41 में पहुंच हेतु अन्य कोई लघुतम रास्ता नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग की लम्बाई ख0न0 42 में 144 मीटर तथा ख0न0 43 में 25 मीटर है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये ख0न0 42 व 43 में से चाहा गया रास्ता दिये जाने का निवेदन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 52/41 में आने जाने हेतु ख0न0 42 व 43 में नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B तक रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 52/41 में पहुंच हेतु अन्य कोई लघुतम रास्ता नहीं है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

41

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 52/41 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 42 व 43 में तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शित रास्ता खेत ख0न0 42 व 43 के सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 42 व 43 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 42 व 43 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/12/24

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर